आदेश की कम संख्या और तारीख	पदाधिकारी का आदेश एंव हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तिथि

13.4.2018

विविध रिवीजन वाद सं0 13/2008–09
केदार नाथ सहाय बनाम मोहन पाण्डेय एवं अन्य

आदेश

अपीलार्थी केदार नाथ सहाय द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गिरिडीह के द्वारा विविध वाद सं0 235/2007–08, 97/2008–09 मोहन पाण्डेय वगैरह बनाम केदार नाथ सहाय में दिनांक 10.11.2008 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया गया है।

वादगत भूमि की विवरणी निम्न प्रकार है:–

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा	कुल रकवा
बरजो	248	88	1342,1343,1344	0.57, 0.19, 0.13 एकड़	0.89 एकड़

वाद विचारण हेतु स्वीकृत करते हुये पक्षकारों को नोटिस निर्गत कर भिन्न–भिन्न तिथियों को सुनवाई की गई।

प्रश्नगत जमीन के संबंध में अंचल अधिकारी, धनवार के पत्रांक कि 731 दिनांक 01.08.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि खाता न0 88 गैरमजरूआ खास भूमि है। प्लॉट न0 1341 पिण्ड है, प्लॉट न0 1342 तालाब है तथा प्लॉट न0 1344 परती कदीम है। अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित है कि पंजी II में जमाबन्दी कब एवं किनके आदेश से कायम की गई है, इसका उल्लेख नहीं है। जमाबंदी कायम करने का आधार के संबंध में प्रतिवेदित है कि जमीन्दारी (हुकुमनामा) पट्टा संबंधित कागजात की छायाप्रति महावीर प्रसाद के वंशज द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

इस प्रसंग में निम्न न्यायालय द्वारा दिनांक 10.11.2008 को पारित आदेश का अवलोकन किया गया।

उक्त आदेश से स्पष्ट है कि अपीलार्थी केदारनाथ सहाय द्वारा दिनांक 10.09.1902 के निबंधित केवाला के आधार पर प्रश्नगत जमीन के दखल कब्जे का दावा किया गया है, जो अविश्वसनीय है।

जिला अभिलेखागार, गिरिडीह द्वारा समर्पित जमीन की विवरणी निम्न प्रकार है:–

मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट नं0	रकवा	किस्म भूमि
बरजो	248	88	1341 1342 1343 1344	0.41 0.57 0.19 0.13	परती पीण्ड तालाब परती पीण्ड परती कदीम

सभी पक्ष सहमत है कि प्रश्नगत जमीन खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खास जमीन है।

इस मामले में अपीलार्थी भी सहमत है कि cadestral Survey में प्रश्नगत जमीन की प्रविष्टि अपीलार्थी के पूर्वजो के नाम नहीं हुई थी।

इस मामले मे विचारणीय मुद्दा यह है कि–

(1) प्रश्नगत जमीन की जमाबन्दी किसी सक्षम पदाधिकारी द्वारा की गई थी अथवा नहीं ?

(2) प्रश्नगत जमीन की जमाबन्दी वैद्य थी अथवा नहीं ?

अंचल अधिकारी, धनवार के पत्रांक 731 दिनांक 01.08.2017 के अवलोकन से स्पष्ट है कि जमाबन्दी कब एवं किनके आदेश से कायम है– इसका उल्लेख किसी भी दस्तावेज में नहीं है।

अंचल अधिकारी, धनवार द्वारा समर्पित सादा हुकुमनामा का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि प्रश्नगत हुकुमनामा भूत पूर्व जमीन्दार द्वारा निर्गत नहीं किया गया है।

अंचल अधिकारी, धनवार द्वारा यह भी प्रतिवेदित है कि प्रश्नगत जमीन के लगान की वसूली सर्वप्रथम सन् 1964–65 ई0 में की गई थी। तथाकथित सादा हुकुमनामा सन् 1945 ई0 का बताया जाता है। एक लम्बी अवधि के बाद सन् 1964–65 ई0 में वगैर सक्षम पदाधिकारी के आदेश से लगान रसीद निर्गत किया जाना इस तथ्य का द्योतक है कि राजस्व कर्मचारी की मिलीभगत से सरकार के हित को क्षति पहुचाने के उद्देश्य से एवं किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुचाने की मंशा से जमाबन्दी कायम की गई थी।

इस परिप्रेक्ष्य में मौजा बरजो थाना न0 248 के खाता न0 88, खेसरा न0 1342, 1343, 1344 रकवा क्रमशः 0.57 एकड़ 0.19 एकड़, 0.13 एकड़ की केदार नाथ सहाय के नाम कायम अवैध जमाबंदी को जगदेव महतो एवं कमिश्नर मे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत रद्द की जाती है।

सम्पुष्टि हेतु अभिलेख आयुक्त उतरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग के माध्यम से सरकार को भेजी जाय।

6/4

अपर समाहर्त्ता,
गिरिडीह।

13/4/18

उपायुक्त, गिरिडीह।